न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी०)एक्ट, रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।

जमानत प्रार्थनापत्र सं.151/2026

1- बबलू अवस्थी उर्फ राजेश पुत्र रमाशंकर अवस्थी उम्र लगभग ...वर्ष,

2-अवनेश प्रजापति पुत्र कमलेश प्रजापति उम्र लगभग ....वर्ष ,

निवासीगण ग्राम व पोस्ट प्रतापपुर खास, थाना शिवली, जनपद कानपुर देहात।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण ।

बनाम

उ०प्र० सरकार .....अभियोजन।

अपराध सं.357/2025

अं०धारा- 115(2),352, BNS &
3(2)(va) SC/ST Act

थाना शिवली, कानपुर देहात।

दिनांक 18-03-2026

01- यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण बबलू अवस्थी उर्फ राजेश व अवनेश प्रजापति द्वारा मुकदमा अपराध सं. 357/2025, अं०धारा- 115(2),352, BNS & 3(2)(va) SC/ST Act, थाना शिवली, कानपुर देहात के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

02- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा श्री प्रदीप कुमार द्वारा थाना शिवली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस बावत पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 13/11/2025 की रात लगभग 10.30 बजे प्रार्थी का पुत्र विवेक कुमार गांव के ही निवासी शिवनारायण के खेत से अपने ट्रैक्टर से धान लादकर घर आ रहा था तभी गांव के ही निवासीगण बबलू अवस्थी पुत्र स्व० सोनेरुप तथा अविनेश प्रजापति पुत्र कमलेश रास्ते में मिलें और बेटे को रोककर उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगे तो बेटे ने पैसे देने से मना कर दिया जिससे उपरोक्त दोनो लोग नाराज होकर जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए कहा कि शाले चमार बहुत बढ गए हो और गाली गलौज करने लगे जब बेटे ने विरोध किया तो उपरोक्त दोनो ने लात घुसो व डन्डे से मारपीट की तथा उसके जेब की तलाशी ली। घटना की सूचना 112 नं0 देने के उपरांत मौके पर पहुँची पुलिस ने उपरोक्त लोगों की तलाश की किन्तु उपरोक्त लोग नही मिले ।

03- जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र में वर्णित किया गया है कि अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लाठी डण्डों से मारने पीटने का कथन है परन्तु वादी के पुत्र के शरीर में मात्र साधारण चोटों का जिक्र है। घटन का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

04- राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

05- वादी मुकदमा न्यायालय में उपस्थित आया किन्तु उसकी ओर से कोई आपत्ति

पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

06- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

07- प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्तगण को पूर्व में अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया था तथा उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०दं०सं० से संबंधित सभी अपराध सात वर्ष से कम सजा के दण्ड से दण्डनीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **सत्येन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी०बी०आई०** के प्रकाश में तथा मामले के तथ्य परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं अभियुक्तगण की भूमिका के दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत प्रकट किये बिना प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण बबलू अवस्थी उर्फ राजेश व अवनेश प्रजापति द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रत्येक को पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा किया जाये-

1. प्रार्थी/अभियुक्तगण वाद के निस्तारण में सहयोग करेगें।
2. प्रार्थी/अभियुक्तगण साक्ष्य के स्तर पर नियत तिथियों में साक्षियों की उपस्थिति में कोई स्थगन प्राप्त करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगे।
3. प्रार्थी/अभियुक्तगण न्यायालय में स्वयं धारा-313 दं०प्र०सं० के कथन अभिलिखित किये जाते समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।
4. प्रार्थी/अभियुक्तगण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा और बिना पर्याप्त आधार के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय द्वारा धारा-299 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
5. प्रार्थी/अभियुक्तगण विचारण को प्रभावित करने हेतु साक्षीगण को किसी प्रकार का प्रभाव अथवा दबाव नहीं डालेगा और न ही साक्षीगण को प्रभावित करेगा।

(शैलेन्द्र निगम)
UP ID N0-6182
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस०सी/एस०टी०एक्ट)
रमाबाई नगर, (कानपुर देहात)।